न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

आदेश दिनॉंक-22.01.2018

प्र0कं0 612/12 विद्युत

म०प्र० विद्युत	
/ / बनाम / /	7
लालाराम आदि	16

.....अभियोगी

.. आरोपी

Order sheet (contd)

case N0- 612/of 2012 F.N.-230301025362012

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
22 <u>.01.2018</u>	परिवादी द्वारा श्री प्रवीणकुमार थापक अधिवक्ता। अभियुक्त लालाराम पूर्व से फरार। अभियुक्त अजय अनुपस्थित। प्रकरण अजय की उपस्थिति हेतु नियत है। पुलिस थाना मेहगाँव जिला भिण्ड से अभियुक्त अजय का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गया है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहा है। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक उमेश शर्मा उपस्थित हैं। उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त अजय को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक उमेश शर्मा को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तदानुसार अभिलेख व	

मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ट पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अविध में दाखिल अभिलेखागार किया जावे। सही /— (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

WITHOUT PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PROPERT